Dr Kumari Manju, H.O.D. Eco Depatt
R.N. College Hajipur
M.A. 2nd Semester
Session - 18 - 20
Course M.A. ~~Final~~

M	T	W	T	F	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Discuss the development of rural industrialisation in India. What are their problems?

(भारत में ग्रामीण औद्योगिकरण के विकास की विवेचना कीजिए। इनकी समस्याएँ क्या हैं?)

Ans: भारत सरकार ने लघु, अति लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अगस्त 1991 में एक नई नीति की घोषणा की। इसके मुख्य तत्व निम्नलिखित थे।

(1) अति लघु क्षेत्र में निवेश की सीमा को 2 लाख रु० से बढ़ा कर 5 लाख रुपये कर दिया गया। इसके अतिरिक्त व्यापार प्रतिबंधों को हटा लिया गया। जहाँ पहले उद्योग का अर्थ मुख्यतया विनिर्माण क्षेत्र में माना जाता था वहाँ नई नीति में इसके अंतर्गत उद्योग से जुड़े सेवा व व्यवसायिक उद्योगों को भी शामिल कर लिया गया। जानकारों के अनुसार यह अधिक तर्कसंगत है।

(2) 1991 की नीति में लघु अति लघु तथा ग्रामीण औद्योगिकरण के विकास के लिए एक अलग पैकेज की घोषणा की गई। जहाँ अति लघु इकाइयों के लिए केवल एक बार प्रारंभिक अवस्था पर सहायता देने की बात की गई। जैसे भूमि प्राप्ति के लिए बिजली के लिए तथा टेक्नोलॉजी रखरखाव के आधुनिकीकरण के लिए। इस व्यवस्था के पीछे तर्क यह था कि अति लघु क्षेत्र तथा ग्रामीण औद्योगिकरण की इकाइयों को सहायता देकर उन्हें निवेश करने योग्य बनाया जाए ताकि वे जल्द अपने पाँव पर खड़े हो सकें और भविष्य में इन्हें इस सहायता की जरूरत न पड़े।

(3) तीसरा मुख्य परिवर्तन इक्विटी में भागीदारी से संबंधित था। नई नीति में यह व्यवस्था की गई कि अन्य औद्योगिक इकाइयों को लघु इकाइयों में 24%

तक की इक्विटी का निवेश कर सकती हैं। इससे बड़ी व छोटी-बड़ी इकाइयों को सामान लाभ मिल सकता है तथा औद्योगिक क्षेत्र में इन दोनों 'किस्मों' को एक प्रकार से और समीप आने का अवसर मिल सकता है। नई नीति के परिशिष्ट भाग में ग्रामीण उद्योगों के: ऐसी इक्विटी की व्यवस्था स्पष्ट नहीं : उतनी पड़ेगी।

(4) चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1991 नीति ने व्यवसाय संगठन का नया कानूनी दौर आरंभ किया जिसमें सीमित साझेदारी की पद्धति इस व्यवस्था में उत्तरदायित्व एक साझेदार का दायित्व असीमित है जबकि अन्य साझेदारों का दायित्व उनके द्वारा निवेशित पूँजी तक ही सीमित है। यह परिवर्तन बहुत उपयोगी है।

(5) नीति की कुछ अन्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:— (i) इस नीति में सस्ती साख की अपेक्षा 'साख पर्याप्तता' पर अधिक जोर दिया गया।

(ii) राष्ट्रीय इक्विटी फंड (National Equity Fund) तथा 'एक संस्था से ऋण लेने की योजना' के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया।

(iii) घरेलू ऋण मात्रा के आवंटन में ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई।

(iv) सरकारी खरीद आदि में ग्रामीण उद्योगों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई।

(v) लघु व अति लघु तथा ग्रामीण औद्योगिक ~~विकास के लिए~~ इकाइयों के लिए बाजार तलाशने के ~~सहकारी संस्थाएँ~~ सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था और तथा अन्य व्यावसायिक संगठनों की भूमिका पर जोर दिया गया।

(vi) ग्रामीण एवं पिछड़े इलाकों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा उद्योग व कृषि में अधिक रोजगार-संयोजन स्थापित करने के लिए

एकीकृत (integrated) आधारिक संरचना के विकास के लिए योजना को मार्च 1994 में औपचारिक रूप से शुरू किया गया तथा एकीकृत आधारभूत संरचना विकास केन्द्र (integrated infra-Structure Development centres) स्थापित किए गए।

नौवीं योजना में इस बात को स्वीकार किया गया कि लघु क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या वित्त की कमी रही है। इसके निवारण के लिए कुछ ये सुझाव दिए गए थे —

(i) राज्य वित्त निगमों एवं लघु उद्योग संघों में वित्तीय तथा प्रबंधकीय आधार को मजबूत करना ताकि लघु एवं ग्रामीण उद्योग इकाइयों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें।

(ii) लघु एवं ग्रामीण उद्योग इकाइयों को वित्त प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा विशिष्ट शाखाओं का गठन।

(iii) वित्तीय रूप से मजबूत तथा अच्छे प्रबंधन वाली लघु उद्योग क्षेत्र की कंपनियों द्वारा स्थानीय क्षेत्र बैंकों की स्थापना, (iv) और बैंकिंग-वित्तीय कंपनियों को ऐसे विशेष प्रोत्साहन देना कि वे लघु उद्योग इकाइयों को और अधिक ऋण देने को प्रेरित हों।

व्यापक नीति पैकेज 2000 तथा नवीनतम कदम (Comprehensive policy Package 2000 and Recent Measures) — 30 अगस्त 2000 को प्रधानमंत्री ने लघु-ग्रामीण औद्योगिक विकास के लिए व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की जिसके मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। (i) लघु उद्योग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने के लिए उत्पाद शुल्क की 50 लाख रुपए की छूट सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपए करना। (ii) उद्योग से संबंधित सेवा तथा व्यापार क्षेत्र उद्यम में निवेश की मौजूदा 5 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करना (iii) [illegible]

ग्रामों की सीमा 10 लाख रु० से 25 लाख रु० किया गया।

(iv) प्रधानमंत्री रोजगार योजना — के अधिकार परिवार की आय पात्रता सीमा को 24,000 रु० प्रति वर्ष से बढ़ाकर 40,000 रु० प्रति वर्ष कर दिया है।

हाल के वर्षों में इसके विकास के लिए उठाए कदम उल्लेखनीय हैं जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं —

(i) निवेश सीमा में वृद्धि — 2006 से पहले निवेश सीमा 1 करोड़ थी जिसे माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 में बढ़ाकर 5 करोड़ रु० कर दिया गया।

(ii) प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए योजना — प्रौद्योगिकी में सुधार को प्रोत्साहन देने के लिए, सरकार ने प्रौद्योगिकी सुधार के लिए पूँजी सब्सिडी योजना की शुरुआत की है।

(iii) बाजार विकास सहायता — लघु व कुटीर उद्योगों के लिए एक बाजार विकास सहायता योजना आरंभ की गई है।

(iv) आरक्षण नीति — हाल के वर्षों में सरकार ने लघु क्षेत्र के विकास के लिए आरक्षण उदार की नीति का पालन किया है।

(v) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए साख सुविधाएँ — लघु उद्योग क्षेत्रों को बैंकों साख सुविधाएँ दिलाने के दृष्टिकोण से कई नए कदम उठाए गए हैं। — भारत निर्माण

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए 11,500 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। अति लघु तथा लघु क्षेत्रों में उत्पादन को 2007-08 में 6,82,613 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2011-12 में 13,98,803 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य है। इसी अवधि में रोजगार को 322.28 लाख से बढ़ाकर 391.73 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। जिससे कि रोजगार अवधि में 4 प्रतिशत वार्षिक ~~की वृद्धि~~ संवृद्धि हो।

लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए, गए किन्तु फिर भी यह उद्योग कुछ समस्याओं से ग्रसित हैं जो निम्न हैं —

(1) कच्चे माल की समस्या — लघु उद्योगों में कच्चे माल से संबन्धित पाँच प्रकार की समस्याएं हैं (I) व्यापारियों द्वारा इनको घटिया किस्म का माल उपलब्ध कराया जाता है। (II) कम मात्रा में माल क्रय करने के कारण इनको ऊँचा मूल्य देना पड़ता है। (III) कई लघु उद्योग कच्चे माल के लिए बड़े उद्योगों पर निर्भर हैं, आयातित कच्चा माल प्राप्त करने में इन उद्योगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। (IV) सरकार द्वारा ~~आवंटित~~ ~~आवंटित~~ कच्चा माल आवंटित करते समय इन उद्योगों को आवश्यक मात्रा में माल आवंटित नहीं किया जाता है।

(2) तकनीक की समस्या — लघु उद्योग की एक समस्या तकनीक की है। यह परम्परागत तकनीक का ही प्रयोग भी करने में लगे हैं जिसके परिणामस्वरूप इनका उत्पादन आधुनिक नहीं होता अतः इनकी बिक्री में कठिनाई होती है।

(3) वित्त की समस्या — इस प्रकार के उद्योगों को ~~कोई~~ दीर्घकालीन व अल्पकालीन दोनों प्रकार के वित्त की आवश्यकता होती है जिसको बैंक, वित्त निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक आदि के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये बहुत ही जटिल औपचारिकताएं पूरी कराते हैं तथा ऋण स्वीकृत करने में समय लगाते हैं। इन कठिनाइयों के कारण ही कई बार उद्यमी उनसे सहायता नहीं लेता और स्थानीय साहूकार एवं महाजनों से ऊँचा ब्याज पर अपना कार्य चलाना होता है।

(4) बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता – लघु उद्योगों को एक अनुमान अनुसार बड़े उद्योगों से बनी वस्तुओं से प्रतियोगिता है प्रतियोगिता के कारण इनकी अपनी वस्तु बेचने में कठिनाई होती है।

(5) शक्ति की अपर्याप्तता – लघु उद्योगों की एक अनुमान शक्ति की अपर्याप्तता है, इन उद्योगों को शक्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। जिसके कारण इनका उत्पादन कम मात्रा में ही होता है।

(6) सूचनाओं व परामर्शों का अभाव – इन उद्योगों को अपने व्यवसाय से संबन्धित सूचनाएँ उचित समय पर नहीं मिल पाती हैं। साथ ही इन्हें उचित परामर्श देने वाली संस्थाएँ भी कम हैं। इन दोनों बातों के अभाव में यह अपनी उन्नति नहीं कर पा रही हैं।

(7) कुशल प्रबंधकों का अभाव – इन उद्योगों में कुशल प्रबंधकों का अभाव रहता है जिसके कारण लाभ नहीं कमा पाते हैं या फिर घाटे में चलते हैं या कम लाभ कमा पाते हैं।

(8) प्रमापीकरण का अभाव – इन उद्योगों का माल किसी निश्चित प्रमाप के अनुरूप नहीं होता है क्योंकि इनकी अधिकांश वस्तुओं के लिए प्रमाप निश्चित किए गए हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कारीगरों व मालिकों को अपनी परिश्रम का उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है।

(10) अन्य समस्याएँ – उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त ग्रामीण, कुटीर एवं लघु उद्योगों की अन्य समस्याएँ भी हैं जैसे – (i) बीमार इकाइयाँ (ii) परिवहन सुविधाओं का अभाव (iii) विज्ञापन की कमी तथा (iv) स्थानीय करों का भार आदि।